**ख्भारत सरकार**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**

**कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1281**

**09 फरवरी, 2021 को उत्तरार्थ**

**विषय: युवा सहकार - सहकारिता उद्यम सहायता और नवाचार योजना**

**1281. श्रीमती रेखा अरूण वर्मा:**

**श्री विनायक भाउराव राउत:**

**श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के अंतर्गत युवा सहकार - सहकारिता उद्यम सहायता और नवाचार योजना 2019 शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों में विभिन्न कृषि सहकारी समितियों को इस योजना के अंतर्गत कोई सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)**

(क): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सांविधिक निगम, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने अक्तूबर, 2019 में "युवा सरकार-सहकारी उद्यम सहायता एवं नवाचारी स्कीम, 2019" शुरू की है।

(ख): स्कीम का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग): जी हां, कृषि सहकारी समितियों सहित सभी प्रकार की सहकारी समिति स्कीम के तहत नई, नवाचारी एवं मूल्य श्रृंखला विस्तार परियोजनों के लिए वित्तीय लेने के लिए पात्र हैं।

(घ): आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में युवा सहकार स्कीम के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण नीचे दिया गया है।

(**रूपये लाख में**)

| **राज्य** | **एनसीडीसी सहायता** | | |
|---|---|---|---|
| | **ऋण** | **सब्सिडी** | **कुल** |
| आंध्र प्रदेश | 12.90 | 3.95 | 16.85 |
| महाराष्ट्र | - | - | - |
| उत्तर प्रदेश | - | - | - |

**अनुबंध-I**

## युवा सहकार-सहकारी उद्यम सहायता एवं नवाचार स्कीम, 2019

**उद्देश्य**

स्टार्ट-अप इंडिया तथा स्टैंड-अप इंडिया जैसे कार्यक्रमों पर जोर देने के साथ-साथ इसका उद्देश्य नए एवं नवाचारी विचारों के साथ नए उद्यमियों पर केंद्रित है तथा एनसीडीसी ने वर्ष 2018 में युवा सहकार-सहकारी उद्यम सहायता एवं नवाचार स्कीम को अधिसूचित किया है। स्कीम के कार्यान्वयन के आधार पर इसे अब और अधिक व्यापक बना दिया गया है तथा इसका शीर्षक युवा सहकार-सहकारी उद्यम सहायता एवं नवाचार स्कीम, 2019 है। इस स्कीम का उद्देश्य सभी प्रकार के क्रियाकलापों को कवर करते हुए सहकारी क्षेत्र में स्टार्ट-अप को सक्षम बनाने पर है।
स्कीम का उद्देश्य नए तथा/अथवा नवाचारी विचारों के साथ नई सहकारी समितियों को बढ़ावा देना है। यह सहकारी स्टार्ट-अप तथा एनसीसी द्वारा सृजित नवाचार कोष से जुड़ी है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में सहकारी समितियों, नीति आयोग द्वारा चिंहित आकांक्षी जिलों में पंजीकृत तथा प्रचालित समितियों, 100 प्रतिशत महिला/एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी सदस्यों वाली सहकारी समितियों के प्रति अधिक उदार है।

**पात्रता**

क. नई, नवाचारी तथा मूल्य श्रृंखला संवर्धन वाली परियोजना के साथ किसी भी प्रकार की सहकारी समिति

ख. सहकारी समिति न्यूनतम 3 महीने के लिए प्रचालित होना चाहिए।

ग. सहकारी समिति की सकारात्मक नेट-वर्थ होना चाहिए।

घ. सहकारी समिति का प्रचालन के पिछले वर्षों के दौरान नगदी नुकसान नहीं होना चाहिए, जैसा भी लागू हो तथा पिछले तीन वर्षों में किसी भी प्रकार की नगदी हानि नहीं होनी चाहिए। (यदि सोसायटी तीन वर्षों से अधिक समय से प्रचालन में है)।

**परियोजना लागत**

क. सहकारी समिति के मामले में परियोजना लागत 3 करोड़ रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो एक अथवा अधिक वर्षों से प्रचालन में हैं।

ख. सहकारी समिति के मामले में परियोजना लागत 1 करोड़ रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो तीन माह अधिक लेकिन 1 वर्ष से कम की अवधि में प्रचालित है। तथापि 1 बार यदि सहकारी समिति अपने प्रचालन की एक वर्ष की अवधि पूर्ण करती है, यह सहायता के लिए पात्र हो जाएगी, जैसा भी सहकारी समिति के लिए स्वीकार्य हो, जोकि एक वर्ष अथवा अधिक से प्रचालन में है लेकिन पहले से ही प्राप्त की गई सहायता को छोड़कर, यदि कोई हो।

ग. परियोजना की प्रकृति तथा क्रियाकलापों के आधार पर परियोजना के भाग के रूप में कार्यकारी पूंजी ऋण प्रदान किया जा सकता है, तथापि यह कार्यकारी पूंजी कुल परियोजना लागत के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

**ऋण अवधि**

ऋण की अवधि पांच वर्षों तक की हो सकती है, जिसमें मूल राशि के भुगतान पर दो वर्षों का मोरेटोरियम शामिल है। मेरेटोरियम की अवधि परियोजना के प्रकार तथा परिसंपत्ति को सृजित करने की क्षमता के आधार पर भिन्न हो सकती है।

**ब्याज दर**

प्रोत्साहन के रूप में एनसीडीसी परियोजना क्रियाकलापों के लिए आवधिक ऋण पर लागू ब्याज दर से 2 प्रतिशत कम प्रदान करेगा। समय पर पुनर्भुगतानों के मामले में ही ब्याज प्रोत्साहन वैध होगा।

**सुरक्षा**

सहकारी समिति एनसीडीसी की संतुष्टि के लिए एक अथवा निम्न के संयोजन में ऋण के लिए सुरक्षा प्रदान कर सकती है:

क. परिसंपत्तियों का गिरवी, जिसमें प्रस्तावित परियोजना के तहत सृजित की जाने वाली परिसंपत्तियां शामिल हैं।

ख. अनुसूचित बैंकों का एफडीआर।

ग. क्रेडिबल सहकारी संस्थानों की गारंटी जो कि अच्छी वित्तीय स्थिति में है तथा जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है।

घ. राज्य/केन्द्र सरकार की गारंटी।

ङ. केन्द्रीय पीएसयू/सांविधिक निकाय/केन्द्रीय पीएसयू के सीएसआर फाउंडेशन द्वारा गारंटी।

च. लघु कृषक कृषि व्यवसाय परिसंघ (एसएफएसी)/पूर्वोत्तर विकास वित्तीय निगम (एनईडीएफआइ)/भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) की गारंटी।

छ. फिक्सड डिपॉजिट प्राप्तियों (एफडीआर) के रूप में निदेशक मंडल/सदस्यों की व्यक्तिगत गारंटी तथा/अथवा अनुसूचित बैंकों की गारंटी।

**सब्सिडी**

केंद्रीय क्षेत्र की समेकित कृषि सहकारी स्कीम (सीएसआईएसएसी) अथवा कोई अन्य स्रोत के तहत सब्सिडी के लिए प्रस्तावित क्रियाकलाप के मामले में यह लागू होगा। तथापि, यदि परियोजना लागत में कार्यकारी पूंजी ऋण घटक शामिल है, सीएसआईएसएसी सब्सिडी परियोजना लागत (कार्यकारी पूंजी को छोड़कर) के पूंजी निवेश के लिए ही पात्र होगी। परियोजनाओं के त्वरित गति से एवं सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी के बदले पात्र ऋण

प्रदान किया जा सकता है। ऑनवर्ड संवितरण के लिए जब एनसीडीसी द्वारा सब्सिडी की प्राप्ति होती है। इसे ऋण राशि के बदले समायोजित कर दिया जाएगा।

**वित्तीय पद्धति**

परियोजनाओं को ऋण वाली वित्तीय पद्धति के साथ सहायता की जाएगी: साम्या अनुपात निम्नानुसार है:

**श्रेणी-क:**

**80 प्रतिशत: 20 प्रतिशत**

- पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सहकारी समिति
- नीति आयोग द्वारा चिंहित आकांक्षी जिलों में पंजीकृत एवं प्रचालित किसी भी प्रकार की सहकारी समिति
- 100 प्रतिशत महिला सदस्यों वाली किसी भी प्रकार की सहकारी समिति
- 100 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ दिव्यांग सदस्य वाले व्यक्ति वाली किसी भी प्रकार की सहकारी समिति।

**श्रेणी-ख:**

**70 प्रतिशत: 30 प्रतिशत**

- सभी प्रकार की सहकारी समिति जिन्हें सभी प्रकार के क्रियाकलापों के लिए श्रेणी-क के तहत कवर नहीं किया जाता है।

यदि प्रस्तावित क्रियाकलाप के लिए सब्सिडी पात्र है, जो कि उपलब्धता के अध्यधीन है, ऋण घटक को आनुपातिक आधार पर कम कर दिया जाएगा।

*******